

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला-बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 192/2010  
संस्थान दिनांक 14.05.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

जयनारायण उर्फ जय पिता पंढरीनाथ गुप्ता,  
आयु 32 वर्ष, निवासी-जवाहर चौक, अंजड़,  
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

//निर्णय //

(आज दिनांक 02.01.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 33/2010 अंतर्गत धारा 279, 337, भा.द.सं. में दिनांक 14.05.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 04.02.2010 को लगभग 6:10 बजे, नकटी माता के आगे ईट भट्टे के सामने, राजपुर रोड पर वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रूप से चलाकर दिलीप व दारासिंह का मावन जीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से दिलीप को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित करने तथा उक्त वाहन से दारासिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित करने के संबंध में धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.02.2010 को लगभग 5:30 बजे शाम को दारासिंह एवं दिली मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर से राजपुर जा रहे थे, मोटरसाईकिल दिलीप चला रहा था, जैसे ही वह नकटी माता के आगे ईट भट्टे के पास पहुँचे कि सामने से पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 के चालक ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे दारासिंह को सिर में चोट लगने से कान से रक्त निकलने लगा तथा दिलीप को बायें पैर की पिण्डली में, दाहिनी पिण्डली के पास चोट आई। पुलिस थाना

अंजड़ के उपनिरीक्षक के.एल. वरकड़े को आहत दारासिंग एवं दिलीप की प्री.एम.एल.सी. प्रदर्शपी 5 रोजनामचा सान्हा क्रमांक 163, 164 पर दर्ज कर जॉच उपरांत दिलीप व साक्षी नानुराम के कथनों के आधार पर वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33/201 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0द0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षी नानुराम की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा प्रदर्शपी 7 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के अभियुक्त जयनारायण से वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 मय दस्तावेजों के तथा अभियुक्त जयनारायण की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 2 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा साक्षियों के समक्ष अभियुक्त जयनारायण को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 3 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। अनुसंधान के दौरान ही पुलिस ने साक्षीगण नानुराम, दिलीप, अनिल व दगड़ीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है कि :—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.02.2010 को लगभग 6:10 बजे, नकटी माता के आगे ईट भट्टे के सामने, राजपुर रोड़ पर वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण रूप से चलाकर दिलीप व दारासिंह का मावन जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन से अथवा उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर आहत दिलीप को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन से अथवा उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर आहत दारासिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में दिलीप (अ.सा.1), अनिल (अ.सा.2), दीपक (अ.सा.3), डॉ. जयप्रकाश पण्डित (अ.सा.4), नानुराम (अ.सा.5) दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.6), उपनिरीक्षक के.एल. वरकड़े (अ.सा.7) एवं डॉ. के.सी. मालवीय (अ.सा.8) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है इस संबंध में आहत दिलीप (अ.सा.1) का कथन है कि 2 वर्ष पूर्व घटना के दिन वह तथा दारासिंग मोटरसाईकिल से अंजड़ से राजपुर जा रहे थे, मोटरसाईकिल वह चला रहा था, दारासिंग पीछे बैठा था। नकटी माता के आगे वे पहुँचे तभी सामने से पीकअप वाहन आया जो तेज गति से चलाते हुए चालक लाया था और उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी। दुर्घटना में उसे चोंटें आई थी। उसकी कमर में अस्थि भंग हुआ था तथा नानुराम को भी चोंटें आई थी। उसका ईलाज अंजड़, बड़वानी तथा उसके पश्चात् इन्दौर में हुआ था। साक्षी का यह भी कथन है कि उसे पीकअप वाहन का क्रमांक याद नहीं है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि पीकअप वाहन का चालक पीकअप को लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, इस कारण उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने पुलिस को अपने प्रदर्शपी 1 के कथन में पीकअप वाहन का क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस वाहन से उनकी टक्कर हुई उसकी गति उसने नहीं देखी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय रोड़ का निर्माण कार्य चालु था तथा साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उखड़ा हुआ रोड़ था तथा उस रोड़ पर वाहन धीरे चलते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय उसने वाहन का क्रमांक नहीं देखा था तथा थाने पर पुलिस ने उसे वाहन का क्रमांक बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने वाहन का क्रमांक जो बताया है वह उसे पढ़कर बताया गया है, साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी।

8. अनिल अ.सा. 2 तथा नानुराम अ.सा. 5 ने भी फरियादी दिलीप तथा आहत दारासिंग की मोटरसाईकिल को पीकअप वाहन के चालक द्वारा तेज गति से पीकअप चलाकर मोटरसाईकिल को टक्कर मारने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षियों का यह भी कथन है कि उक्त दुर्घटना में दारासिंग एवं दिलीप को चोंटें आई थी। अनिल अ.सा. 2 ने पीकअप वाहन का क्रमांक 7034 बताया

है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को अपने कथन में पीकअप वाहन का क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 बताया था। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना शाम 4-6 बजे के मध्य की है। वह अपने पिता दारासिंग को उठाकर अस्पताल ले गया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना वाले दिन वह मोटरसाईकिल से राजपुर से अंजड़ जा रहा था अथवा घटना वाले दिन वह घर पर था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का क्रमांक नहीं देखा था।

9. नानुराम अ.सा. 5 ने प्रदर्शपी 7 के नक्शा मौका पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तथा अभियोजन की ओर से दिये गये सुझाव को स्वीकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्शपी 8 में पीकअप वाहन का क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय घटनास्थल पर रोड़ का निर्माण कार्य चालु था तथा सड़क उखड़ी हुई थी तथा उस पर मिट्टी डली हुई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने घायल दारासिंग को उठाया था तथा थाने पर फोन लगाया था। उसे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का क्रमांक याद नहीं है और उसने अभियोजन अधिकारी द्वारा वाहन का क्रमांक बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जहाँ पर दुर्घटना हुई वहाँ पर मोड़ था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पीकअप वाहन सामान्य गति से चल रहा था अथवा उसने घटना नहीं देखी थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है। दीपक अ.सा. 3 ने प्रदर्शपी 2 के जप्ती पंचनामों के अनुसार पीकअप वाहन उसके सामने जप्त होने के संबंध में कथन किये हैं।

10. डॉ. जयप्रकाश पण्डित अ.सा. 4 ने दिनांक 04.02.2010 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में मोटरसाईकिल दुर्घटना में घायल दिलीप पिता मुन्नालाल, आयु 45 वर्ष, निवासी राजपुर का मेडिकल परीक्षण करने पर उसकी बायीं जांघ एवं बायें पैर पर कंट्यूजन सख्त अथवा बोथरी वस्तु से आने और उसे आगामी चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय बड़वानी रेफर करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने दारासिंग पिता गोपाल का भी चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके दाहिने कान से रक्त निकलने और उसका प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय बड़वानी रेफर करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 व 5 भी प्रमाणिता किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आहत दारासिंग द्वारा स्वयं मोटरसाईकिल चलाकर गिरने से उक्त दोनों आहत को आई चोटें आना संभव है।

11. डॉ. के.सी. मालवीय अ.सा. 8 ने दिनांक 04.02.2010 को आहत दारासिंग के सिर एवं दाहिने हाथ का एक्सरे परीक्षण करने पर उसके सिर के बायें पेरार्डल भाग तथा हाथ की रेडियस हल्ना अस्थि के निचले भाग पर अस्थि भंग की चोट होने के संबंध में साक्षी ने कथन किये हैं तथा साक्षी ने एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 16 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त चोट गिरने से आना संभव है।

12. उपनिरीक्षक के.एल. वरकड़े अ.सा. 7 ने दिनांक 04.02.2010 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ से मोटरसाईकिल दुर्घटना में घायल दिलीप और दारासिंग की प्री.एम.एल.सी. प्राप्त होने पर जाँच के दौरान घायलों और साक्षी नानुराम के कथन लेखबद्ध करने के बाद पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33/10 प्रदर्शपी 9 का दर्ज करने, नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 7 का बनाने और आहत एवं साक्षी नानुराम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के संबंध में साक्ष्य दी है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त ने भी फरियादी के विरुद्ध रिपोर्ट की है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध किये।

13. दुलीचंद पाटीदार अ.सा.6 ने दिनांक 11.03.2010 थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 33/10 में अभियुक्त के पेश करने पर महिन्द्रा पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी.09 के.डी. 7034 को दस्तावेजों सहित जप्त करने और अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 2 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। आहत दारासिंग की मृत्यु होने के कारण उसका कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया।

14. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी दिलीप अ.सा.1 का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त ही घटना के समय पीकअप वाहन क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 चला रहा था तथा अभियुक्त ने लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से उक्त पीकअप को चलाकर उनके वाहन को टक्कर मारी, यहाँ तक कि साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल पर घटना के समय रोड़ उखड़ा हुआ था और वाहन धीमी गति से चल रहा था। यहाँ तक कि साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे वाहन का क्रमांक बताया था, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना, दिनांक, समय व स्थान पर वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 को लोक मार्ग पर उतावलेपन से चलाकर दिलीप एवं दारासिंग को टक्कर मारकर मानव जीवन संकाटापन्न किया तथा उक्त वाहन को लोक मार्ग पर उतावलेपन से अथवा उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर आहत दिलीप को साधारण एवं दारासिंग को घोर उपहति कारित की।

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त जयनारायण के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त जयनारायण को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337, 338 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

16. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 7034 दिनांक 12.03.2010 को उसके पंजीकृत स्वामी सुरेश पिता एडियाजी, निवासी—ग्राम नोडल, जिला इन्दौर, हाल मुकाम ग्राम सिंघाना, जिला धार म.प्र. को सुपुर्दगी पर दी गई है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी